(429)

(54)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.3(54)नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांक: 08/11/2012

परिपत्र

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 की तैयारी हेतु की गई राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं विभिन्न सम्भाग स्तरीय बैठकों में प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए अभियान से संबंधित कार्यों में गति दिये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर एतद्द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यासों में कृषि भूमि पर बसी योजनाओं के ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में:–

1.1 जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण में उक्त कार्य हेतु प्राधिकरण की निम्नानुसार जोन स्तरीय समिति को अभियान अवधि (31.03.2013 तक) हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। अनुमोदित ले–आउट प्लान पर संबंधि उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर जारी किया जावेगा।

अभियान अवधि हेतु प्राधिकरण हेतु जोन स्तरीय कमेटी का गठन:–

संबंधित जोन उपायुक्त	—	संयोजक
उप/सहायक नगर नियोजक	—	सदस्य सचिव
तहसीलदार	—	सदस्य
संबंधित सहायक/अधिशाषी अभियंता	—	सदस्य

1.2. नगर विकास न्यासों में उक्त कार्य हेतु निम्नानुसार समिति को अभियान अवधि हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। अनुमोदित ले–आउट प्लान पर संबंधि सचिव/उप सचिव/विशेषाधिकारी एवं उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर जारी किया जावेगा। नगर नियोजक की उपलब्धता नहीं होने पर संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा ले–आउट प्लान पर हस्ताक्षर किये जायेगे।

नगर सुधार न्यासों के लिये गठित कमेटी

सचिव/उप सचिव/विशेषाधिकारी	—	संयोजक
उप/सहायक नगर नियोजक	—	सदस्य सचिव
तहसीलदार	—	सदस्य
संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता	—	सदस्य

1.3 कृषि भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व एवं पश्चात बसी कॉलोनियों के नियमन हेतु ले–आउट प्लान तैयार किये जाने हेतु सुओ–मोटों कार्यवाही की जावें एवं ले–आउट प्लान अनुमोदन पश्चात नियमन/पट्टा जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(333)

55

1.4 सभी नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी योजनाओं के ले–आउट प्लान नगर नियोजन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा तकनीकी अनुमोदन किये जाने के पश्चात संबंधित उप/सहायक नगर नियोजक की ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति में उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी।

2. डेडीकेटेट कन्सलटेंन्ट द्वारा विभिन्न नगरीय निकायो में किये जा रहे कार्यो में आ रही समस्याओं के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:–

- समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि डेडीकेटेड कन्सलटेंट को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो के संबध में संबधित आईटम का सम्पूर्ण कार्य आवंटित किया जावे। उदाहरणार्थ आईटम नं. 1– कृषि भूमि पर बसी अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमन संबंधी कार्यो में क्षेत्र का सर्वे, ले–आउट–प्लान एवं भू–खण्डों की पत्रावलियां तैयार किये जाने का कार्य इकजाई रूप से कार्यादेश दिया जावे।

- राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.06.2012 से पूर्व जारी कार्यादेशों में यदि डेडीकेटेड कन्सलटेंट द्वारा पत्रावलियां तैयार किये जाने के कार्य ना करने की वांछना लिखित में दी जाती है अथवा नगरीय निकाय द्वार यह कार्य निकाय स्तर पर करवाये जाने का निर्णय लिया जाता है तो यह कार्य नगरीय निकाय स्तर पर अथवा अन्य कन्सलटेंट से करवाया जावे। ऐसी स्थिति में सर्वे, ले–आउट प्लान, खसरा सुपर इम्पोजीशन का कार्य करने के पश्चात एवं ले–आउट प्लान के सक्षम अनुमोदन की स्थिति में डेडीकेटेड कन्सलटेंट को पूर्ण कार्य हेतु देय भुगतान रूपये 1450.00 प्रति पत्रावली में 400.00 रूपये प्रति पत्रावली कम करते हुए शेष राशि रूपये 1050.00 प्रति पत्रावली की दर से भुगतान किया जावेगा। पत्रावलियों की संख्या अनुमोदित ले–आउट प्लान में दर्शाये गये भूखण्डों की संख्या के अनुसार होगी एवं ले–आउट प्लान प्रत्येक भूखण्ड का माप एवं क्षेत्रफल दर्शाया जाना होगा।

- आदेश दिनांक 26.06.2012 में सर्वे, ले–आउट प्लान, खसरा सुपर इम्पोजीशन एवं पत्रावलियां तैयार करने हेतु पृथक–पृथक दरे निर्धारित की गयी है, अतः तदनुसार कार्यवाही की जावे।

- अन्य कन्सलटेंट से कार्य करवाये जाने पर साईट प्लान सहित संमस्त आवश्यकत दस्तावेज प्राप्त कर पत्रावली तैयार करने हेतु रूपये 400.00 प्रति पत्रावली (समस्त क्षेत्रफल / भूखण्डों हेतु) की दर से भुगतान किया जावेगा।

- कन्सलटेंट द्वारा किये जा रहे कार्यो के विभिन्न चरणों में भुगतान हेतु विस्तृत आदेश दिनांक 30.09.2011 द्वारा जारी किये गए है। उक्त आदेश के क्रम में सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि कन्सलटेंट द्वारा सर्वे, ले–आउट प्लान एवं खसरा सुपर इम्पोजीशन सहित मानचित्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात संबंधित सहायक नगर नियोजक एवं राजस्व पटवारी द्वारा सत्यापित किये जाने की दशा में इस चरण पर देय भुगतान का बिल प्रमाणित कर 3 दिवस में भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

1334

➢ कतिपय कन्सलटेंट्स द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि उनके द्वारा समस्त दस्तावेजों सहित भूखण्डों की पत्रावलियां तैयार करवायी जाने के पश्चात संबंधित भूखण्डधारी द्वारा सीधे ही नगरीय निकायों में पत्रावली प्रस्तुत की जाती है एवं ऐसी स्थिति में उनके कार्य का प्रमाणीकरण संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किये जाने में असमर्थता जाहिर की जाती है। अतः ऐसी स्थिति में समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि यदि भूखण्डों की पत्रावलियां संबंधित कन्सलटेंट द्वारा तैयार किये जाने का प्रमाण (यथा दस्तावेजो या पत्रावली मुख पृष्ठ कन्सलटेंट की मुहर अंकित की जाती है) प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है एवं भू-खण्डधारी द्वारा भी सीधे ही नगरीय निकाय में प्रस्तुत की जाती है तो भी कन्सलटेंट को प्रति पत्रावली हेतु देय राशि का भुगतान की कार्यवाही की जावे।

शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

शासन उप सचिव
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : F.7.(3.)/भूमि/(अभि.12)/DLB/12/19410-860 दिनांक: 08/11/2012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. शासन उप सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान को भेज कर लेख है कि अपने अधिनस्थ कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करावें।
8. निदेशक, नगर आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण।
9. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
10. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
11. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
13. आयुक्त, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
14. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।

(335)

15. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/परिषद एवं पालिकाएं, राजस्थान।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषद एवं पालिकाएं, राजस्थान।
17. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
18. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
19. प्रभारी अधिकारी राजकोम जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति यू.डी.एच एवं एल. एस.जी. की वेब साईट पर अपलोड करे।
20. सी.एम.ए.आर. निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर प्रसारित करे।

अतिरिक्त निदेशक